फर्द अहकाम

सरकार बनाम हनुमान सिंह वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर

केस संख्या 41/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31/10/25	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सब ग्राउण्ड डॉलेस/कार्य का [illegible] करने पर अगली पूर्वानुसार दिनांक ..... पेश हो। 07/11/25	
	07/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उप० पत्रावली [illegible] बाबत पत्रावली दिनांक 28/11/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर	
	28/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उप० पत्रावली के लापता पैसी पर पत्रावली आवश्यक रूप से पेश करें। पत्रावली दिनांक 08/12/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर	
	08/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उप० पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से संबंधित मूल वाद के अभाव रूप से कार्यवाही कर निर्णय किया जाना युक्त है अतः अधूरे स्थगन प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः इस स्थगन प्रा० पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली कोलकर अधूरा छोड़कर तत्पर से कम से कम वाद मूल प्रार्थी प्राविक वापस हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर	